

परियोजना का नाम :— जनपद हरिद्वार में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता —नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320कि0मी0

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

विशासी बांमयन्ता, प्री.एम.जी.एस.वाई. सिंघाई खण्ड 6. इन्दिरा नगर , देहरादून

अधिशासी अभियला पि. एक जी ह0 / नर्व प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट :--उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न





परियोजना का नाम :— जनपद हरिद्वारमें प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गैंडीखाता —नौरंगाबाद मोटर मार्ग, के नव निर्माण हेतु वन भूि हस्तान्तरण प्रस्ताव। 2.320 कि0मी0

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :—

- 1. ईको-क्लास श्रेणी.....ग्रा
- 2. हरियाली का घनत्व 20-30/
- 3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०. ८०३०००।
- 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1:624 हैं

5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 13,0407200 इसके अमंतिरिक्त खिंद साठ उच्हातम न्याधालय द्वारा क्रनटपीठनीट की शनराशि की कोई नदीन्त्री की जाती है तो क्रन-सी. ती. की आतिश्ति, धनराशि भी कान्वक निभंग कारा जमा करा की नायेगी, १०६२४ के अपराक्षित बन भूमि @ 8.03 लाख प्रतिहैं० = के 13.04072.00



नोट :-- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

